



2026:AHC:31618

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 2905/2026

रामजी

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : राजीव कुमार मिश्रा

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याची के विरुद्ध लेखपाल द्वारा दिनांक 11.06.2021 को प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसे वाद संख्या 3784 / 2021 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202115060703784 के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसे प्रतिवादी संख्या 3/सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ द्वारा आदेश दिनांक 25.05.2023 के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया। उपरोक्त आदेश द्वारा याची को बेदखल कर दिया गया था।
2. उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, धारा 67(5) के तहत वैधानिक अपील दायर की गई, जो वाद संख्या 4164 / 2025 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या D202515060004164 के रूप में पंजीकृत हुई। उक्त अपील को मुख्य राजस्व अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा 31.12.2025 को खारिज कर दिया गया।
3. यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा याची के विरुद्ध पारित आदेश बिना कोई कारण बताए पारित किया गया है।
4. विभिन्न अन्य तर्कों के अलावा, याची के अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह भी दिया गया कि उपरोक्त आदेश ऋषिपाल सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2023 (1) एडीजे 154 के मामले में निर्धारित पैरा-74 की प्रक्रिया के पूर्ण उल्लंघन में पारित किए गए थे, इसलिए उन्हें रद्द किया जाना चाहिए।
5. इस तथ्य को प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. इसके दृष्टिगत, चूंकि प्रतिवादी संख्या 3/सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत वाद संख्या 3784 / 2021 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202115060703784 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2023 तथा मुख्य राजस्व अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत वाद संख्या 4164 / 2025 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या D202515060004164 में पारित आदेश दिनांक 31.12.2025, ऋषिपाल सिंह (सुप्रा) के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के पूर्ण उल्लंघन में पारित किए गए थे, अतः वे निरस्त किए जाने योग्य हैं और एतद्वारा उन्हें रद्द किया जाता है।

7. रिट याचिका स्वीकार की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

8. प्रतिवादी संख्या 3/सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे ऋषिपाल सिंह (सुप्रा) के मामले में दिनांक 02.12.2022 के निर्णय के पैराग्राफ-74 में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर शीघ्रता से नया आदेश पारित करें।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

12 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"